



बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

6-7 तल, इन्दिरा भवन, रामचरित्र सिंह पथ, बेली रोड, पटना
Email: biada@rediffmail.com Website: www.biada.org.in Phone/Fax: 0612-222174/222175/22205119

990

पत्रांक: 774/07

पटना, दिनांक: 25/04/07

प्रेषक,

के के पाठक, भा. प. से.
प्रबंध निदेशक।

संवा में,

कार्यकारी निदेशक,
क्षेत्रीय कार्यालय,
पटना / गुजपफरपुर / दरभंगा / भा. प. से.

विषय:- अस्थायी एवं स्थायी निबंधन निर्गत किये जाने हेतु आपन करने संबंधी निदेश।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास आयुक्त का पत्रांक 10 दिनांक 02.01.2007 की छाया-प्रति संलग्न करके हुए संगत करना है कि लघु उद्योग के निबंधन (SSI-Registration) को परिष्कृत करते हुए अब इसे आपन (Issuing of Memorandum) का प्रपत्र किया गया है। Memorandum का प्रपत्र इसका साथ संलग्न किया जा रहा है।

आपन (Memorandum) प्रपत्र करने संबंधी निदेश निम्नांकित है:-

प्रपत्र -- 1 अस्थायी निबंधन से संबंधित है। ✓

प्रपत्र -- 2 स्थायी निबंधन से संबंधित है। ✓

प्रथम पौंच चौकस: राज्य का कोड होगा।

द्वितीय - तीन चौकस: शहर का कोड होगा।

छठों चौकस:- उत्पादन/सर्विस का कोड होगा।

सातवों चौकस:- सूक्ष्म/लघु/मध्यम का कोड होगा।

अंतिम पौंच चौकस:- अस्थायी निबंधन हेतु निर्गत पञ्जीशन संख्या

होगी जो प्राधिकार द्वारा अस्थायी निबंधन हेतु निर्गत पञ्जीशन संख्या

अवतरण के लिए प्रथम अस्थायी निबंधन संख्या:

0 0 0 1 A

इसी प्रकार बढ़ते क्रम में होगा।

0 0 0 1 B

0 0 0 1 C

जब 0 0 0 1 तक आवंटन हो जायेगा तब नई Series 0 0 0 2 A से शुरू होगी।

लेकिन अस्थायी निबंधन में "P" का व्यवहार नहीं किया जायेगा।

इस तरह स्थायी निबंधन में पंजीयन संख्या निम्न प्रकार से दर्शाया जायेगा:-

0 0 0 1 P

इसी प्रकार बढ़ते क्रम में होगा।

0 0 0 2 P

0 0 0 3 P

"P" स्थायी निबंधन का द्योतक है।

विश्वारागजन,

प्रबंध निदेशक।

388

NO
PX